शुभम कॉलोनी में पुनः कार्यवाही करते हुए मार्ग संरचना को पूर्णत: हटाया गया, रजिस्ट्री करार शुन्य करने हो रही है कयावद

भिलाईनगर/ निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जोन आयुक्तों को दिए हैं! इसी तारतम्य में जोन क्रमांक 1 अंतर्गत आने वाले कोहका क्षेत्र के शुभम कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग को लेकर आज पुनः कार्रवाई की गई! मार्ग संरचना को पूर्णत: हटाया गया! आज की कार्रवाई में अवैध प्लाटिंग के लिए तैयार किए गए डीपीसी लेवल को भी ध्वस्त कर दिया गया! अवैध प्लाटिंग के लिए बाउंड्री वॉल तैयार किया गया है इसे भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं! जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि बताया कि 1 साल के भीतर खसरा नंबर 728 के जमीन पर अवैध प्लाटिंग की तैयारी शुरू की गई है , पहले इस प्लॉट को 6 लोगों ने 6 टुकड़े किए उसके बाद इसे कुल 35 टुकड़े में विभाजित कर विक्रय की तैयारी की जा रही थी! इस बाबत तहसीलदार से चर्चा कर इनके रजिस्ट्री करार शुन्य करने पर चर्चा हुई है, जल्द ही प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी! अवैध प्लाटिंग की कार्रवाई के दौरान कोई भी सामने नहीं आ रहा है! लगभग 3 एकड़ की जमीन को कई टुकड़ों में विभाजित कर बेचने की तैयारी की बात सामने आई है! मार्ग संरचना और डीपीसी लेवल को तोड़ने के लिए निगम का अमला आज पुनः एक जेसीबी और तीन डंपर लेकर स्थल पर पहुंचा! 25 ट्रिप से अधिक मुरूम जब्त किया जा चुका है ! जल्द ही कानूनी प्रक्रिया भी की जा सकती है! कोहका क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग तैयार किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जोन क्रमांक 01 के वार्ड 09 शुभम कॉलोनी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से मुरूम से निर्माण किए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से ध्वस्त कर मूल स्वरूप में तब्दील किया गया। अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग में बेदखली की कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता अनिल सिंह , उप अभियंता अरविंद शर्मा सहित निगम भिलाई के अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। नजूल जमीन से आम सूचना बोर्ड गायब , अज्ञात के खिलाफ निगम ने दर्ज कराई एफआईआर भवन अनुज्ञा अधिकारी ने स्मृति नगर चौकी मेें जुनवानी रोड स्थित नजूल जमीन पर लगाई गई सूचना बोर्ड चोरी करने वाले अज्ञात के खिलाफ शिकायत की है। अपराध पंजीबद्ध कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भवन अनुज्ञा अधिकारी ने शिकायत में लिखा है कि श्री शंकराचार्य कॉलेज जुनवानी रोड बीएसबीके खसरा नंबर- 199 स्थित नजूल जमीन के पीछे दुखन बाई व अन्य की खसरा नंबर 115/02 क्षेत्रफल 0.140 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 42/02 क्षेत्रफल 0.730 हेक्टेयर जमीन पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत के आधार जोन-1 ने कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई थी। आम सूचना के लिए उक्त भूमि पर 23 सितंबर को नगर पालिक निगम अधिनियम की स्वीकृति के बिना विखंडन का विक्रय पर रोक

लगाने से संबंधित सूचना बोर्ड लगाई थी। किंतु कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आम सूचना के लिए लगाई गई बोर्ड को उखाड़कर ले गया है।

उपायुक्त ने पंजीयक व तहसीलदार को लिखा पत्र

इधर उपायुक्त श्री अशोक द्विवेदी ने जिला पंजीयक और भिलाई नगर के तहसीलदार को पत्र लिखा है। पंजीयक से श्री शंकराचार्य कॉलेज जुनवानी रोड स्थित बीएसबीके फार्म से लगी भूखंड खसरा नंबर 115/2 क्षेत्रफल 0.140हेक्टेयर व 47/2 क्षेत्रफल 0.730 हेक्टेयर को विखंडन कर कराई गई रजिस्ट्री की प्रति अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। तहसीलदार से उक्त खसरा नंबर की जमीन के सभी विखंडित सभी खसरा नंबर , रकबा, खाते का नाम , एवं पता अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। ताकि भूमि का विखंड/ अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई किया जा सके!